डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक: 18.07.2019

छात्रावास आवंटन सम्बन्धी सूचना

डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के छात्रावास में आवंटन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में छात्रावास आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं| विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर छात्रावास आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर अपना आवेदन प्रस्तुत करें| **ऐसे दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी जो छात्रावास आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए अकादमिक भवन A-2 के भूमि तल पर स्थित कक्ष संख्या 108 में हेल्प डेस्क (Help Desk) स्थापित किया गया है| ऐसे विद्यार्थी कार्यालय अवधि (प्रात: 10 बजे से सायकाल 4:00 बजे तक) में उक्त सुविधा का लाभ ले सकते हैं|**

ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:

Time Line:

1. ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया का आरम्भ : 22 जुलाई, 2019
2. ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि : 29 जुलाई, 2019
3. छात्रावास आवंटन हेतु प्रथम सूची का प्रकाशन : 30 जुलाई, 2019
4. छात्रावास में भोजन सुविधा का आरम्भ : 01 अगस्त, 2019

छात्रावास शुल्क (सत्र 2019-20)

#	मद Head	दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु For Disabled Students (Rs. रु०)	गैर-दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु For Non-Disabled Students (Rs. रु०)
1	छात्रावास शुल्क Hostel Fee	कुछ नहीं	3000.00
2	अभिरक्षण शुल्क Maintenance Fee	2000.00	3500.00
3	उपयोगिता शुल्क Utility Charges	2000.00	2000.00
4	कॉशन मनी (वापसी योग्य) Caution Money (Refundable) केवल नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु (For New Students)	1000.00	1000.00
5	**योग Total**	**5000.00**	**9500.00**

छात्रावास आवंटन प्रक्रिया के चरण

नव-प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु:

1. विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://dsmnru.ac.in** पर उपलब्ध लिंक से अपने अकाउंट पर लॉगिन करना
2. अपना ऑनलाइन आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड को अंकित करके 'अप्लाई फॉर हॉस्टल' पर क्लिक करना
3. छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म में यथा वांछित सूचनाओं को भरना
4. आवेदन फॉर्म सबमिट करना|

पुरातन विद्यार्थियों हेतु:

1. वि० वि० की वेबसाइट पर छात्रावास आवंटन हेतु उपलब्ध लिंक पर क्लिक करना
2. अपना नामांकन संख्या एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर को अंकित कर OTP प्राप्त करना
3. छात्रावास आवंटन आवेदन फॉर्म में वांछित सूचनाओं को भरना
4. आवेदन फॉर्म सबमिट करना|

छात्रावास आवंटन संक्षिप्त नियमावली

1. छात्रावास में छात्र/छात्राओं हेतु डिप्लोमा कोर्स हेतु 2 वर्ष, स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 3 वर्ष, परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु 2 वर्ष तथा पी-एच.डी. हेतु 3 वर्ष के लिए ही कक्ष आवंटित किया जाएगा। ऐसे पाठ्यक्रमों में किसी भी विद्यार्थी को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए छात्रावास का आवंटन नहीं किया जायेगा|
2. BVA, BPO, BASLP & B Com-LLB पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के लिए ही छात्रावास का आवंटन किया जायेगा|
3. यदि कोई विद्यार्थी इसी विश्वविद्यालय (डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालयए लखनऊ) से स्नातक, परास्नातक के पश्चात् पी-एच.डी. में अध्ययनरत रहता है, तो उक्त स्थिति में उस छात्र/छात्रा को अधिकतम 8 वर्ष तक ही कक्ष आवंटन किया जा सकेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में दूसरी बार परास्नातक यथा Double M.A./M.Sc./M.Ed. करने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
5. स्थानीय दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा तभी दी जायेगी जब वे 100 % दिव्यांगता की श्रेणी के होगें।
6. गैर-दिव्यांग स्थानीय विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
7. छात्रावास केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये ही आंवटित किया जायेगा। यदि दिव्यांग विद्यार्थी एक सेमेस्टर में 02 से अधिक प्रश्न-पत्रों में एवं गैर-दिव्यांग 01 से अधिक प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण/बैक पेपर है तो उन्हें छात्रावास का आंवटन नही किया जायेगा।
8. स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा सशुल्क उपलब्ध रहेगी।
9. ऐसे विद्यार्थी जिनकी दिव्यांगता पर संशय है, छात्रावास आवंटन के समय उनकी दिव्यांगता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है।
10. छात्रावास में रहने के इच्छुक विद्यार्थियों की अधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के किसी भी Self Finance पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं (दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़कर) उन्हें सत्र 2019-20 से छात्रावास आवंटन नहीं किया जायेगा|
11. छात्रावास केवल उन्हीं विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध होगा जिनमें पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 1 वर्ष हो|
12. छात्रावास का आवंटन ऐसे विद्यार्थियों को नहीं किया जायेगा जिनकी विगत वर्ष में छात्रावास में उपस्थिति 50% से कम रही थी|
13. छात्रावास ऐसे विद्यार्थियों को आवंटित नहीं किया जायेगा जिनका विगत वर्ष/वर्षों में छात्रावास के किसी भी प्रकार का शुल्क (मेस शुल्क/छात्रावास शुल्क) बकाया देय रहा हो|
14. विश्वविद्यालय के छात्रावास में आवासित उन्हीं दिव्यांग छात्र/छात्राओं का छात्रावास एवं मेस शुल्क निःशुल्क किया जाएगा जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो तथा संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण हो|
15. छात्रावास में नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था केवल उन्हीं दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध रहेगी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर हो| ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है वे विद्यार्थी अपने सम्बंधित राज्य के सम्बंधित विभाग से नियमानुसार/अर्हतानुसार मेस शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं|
16. जिन विद्यार्थियों को कोई संक्रामक बीमारी/रोग है उन्हें छात्रावास का आवंटन नहीं किया जा सकेगा| छात्रावास प्रशासन इस सन्दर्भ में विद्यार्थी से चिकित्सा अधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं|
17. छात्रावास के प्रत्येक कक्ष में अधिकतम दो विद्यार्थियों को रखा जाएगा जो कि किसी भी पाठ्यक्रम, विकलांगता, धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के हो सकते हैं|
18. जिन विद्यार्थियों द्वारा विगत सत्र में ससमय छात्रावास कक्ष खाली नहीं किया था उन्हें सत्र 2019-20 में छात्रावास का आवंटन नहीं किया जायेगा|
19. इन नियमों के अतिरिक्त छात्रावास आवंटन हेतु विस्तृत नियमावली के अनुरूप ही छात्रावास आवंटन किया जायेगा एवं छात्रावास से सम्बंधित समस्त नियमों एवं विनियमों का छात्रावास में आवासित प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पालन करना अनिवार्य होगा |

Scanned by CamScanner